ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-1* Issue-3* April- 2016
Innovation The Research Concept

ग्रामीण विकास में पंचायतीराज की भूमिका

सारांश

भारत एक ग्राम–प्रधान देश है जहाँ देश की कुल जनसँख्या का लगभग दो–तिहाई भाग गावों में निवास करता है। भारतीय गांव की पहचान इसकी कृषि–आधारित आर्थिकी, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी आदि के आधार पर की जाती रही है। ये वो समस्याएं हैं जो गांव के लोगों को अपने मूल स्थानों को छोड़ने एवं नगरों में पलायन करने के लिए विवश करती रहती हैं ।

ग्रामीण विकास भारतीय समाज का प्रमुख मुद्दा है जो समय समय पर नीति–निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, विभिन्न पंच–वर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत में ग्रामीण विकास के प्रयास किये जाते रहे हैं, परन्तु व्यावहारिक धरातल पर अधिकांश भारतीय गांव संपूर्ण विकास से बहुत दूर हैं ।

समय समय पर ग्रामीण विकास हेतु अनेकों कार्यक्रम प्रारम्भ किये गए, परन्तु सम्पूर्ण ग्रामीण विकास आज भी अनेकों समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह अवश्य सराहनीय है कि ग्रामीण विकास की गति में अप्रत्याशित रूप से तेजी आयी है और इसके सुखद परिणाम सामने आने लगे हैं।

शोधपत्र भारतीय ग्रामीण समाज का सैद्धांतिक अध्ययन है तथा ग्रामीण विकास में पंचायतीराज के योगदान को प्रतिबिंबित करता है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि पंचायतीराज व्यवस्था ने भारत में ग्रामीण विकास को अप्रत्याशित गति प्रदान की है।

मुख्य शब्द : ग्राम–प्रधान, जनसँख्या, कृषि–आधारित, आर्थिकी, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, पंच–वर्षीय योजना, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज

राम किशोर उपाध्याय
व्याख्याता
लोक प्रशासन विभाग,
महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
भरतपुर, राजस्थान, भारत

प्रस्तावना

महात्मा गॉधी के ग्राम–स्वराज्य की परिकल्पना पंचायतीराज के माध्यम से साकार होती प्रतीत हो रही है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही उनकी इस परिकल्पना पर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास हेतु बजट निर्धारित किया गया और हर संभव कोशिश की गयी की ग्राम–स्वराज्य अस्तित्व में आये।

ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता ही ग्राम–स्वराज्य के सपने को पूरा कर सकती हैˆ गावों में भारत की आत्मा निवास करती है और जब तक भारत में ग्रामीण विकास की तेज लहर न हो, भारत विकास की दृष्टि से पिछड़ा ही सिद्ध होगा। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के समन्वय से पंचवर्षीय योजनाओं का सफल संचालन होता आ रहा है तथा भारत में ग्रामीण विकास निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है।

24 अप्रैल 1992 का दिन भारतीय लोकतंत्र एवं भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इसी दिन 73 वे संशोधन के द्वारा भारत में पंचायतीराज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्राप्त हुआ।

इसके बाद ग्रामीण विकास के जैसे पंख लग गए क्योंकि ग्रामपंचायतों के माध्यम से तेज गति से ग्रामीण विकास होने लगा और अनेकों भारतीय ग्रामीणों ने लोकतंत्रात्मक मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए स्थानीय स्तर पर पंच, उपसरपंच और सरपंच के रूप में चुनाव में विजयी होने के बाद अन्य लोगों को नेतृत्व प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया।

निःसंदेह, पंचायतीराज ने ऐसे अनेकों ग्रामीण पुरुषों एवं महिलाओं को शासनव्यवस्था में भागीदारी करने का अवसर प्रदान किया जिनकी नेतृत्व क्षमता अवसर के आभाव में निरर्थक सिद्ध हो रही थी। जातिगत आरक्षण ने आरक्षित वर्ग के सदस्यों को भारतीय राजनीति में भागीदारी करने का अवसर प्रदान किया।

पंचायतीराज का वर्तमान परिदृश्य उत्साहवर्धक है क्योंकि अब सभी जातियों के सदस्यों को पंचायतीराज की सफलता के लिए एकसाथ कार्य करते हुए देखा जासकता है। पंचायती राज निश्चत रूप से ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन, ग्रामीण विकास करने और प्रजातान्त्रिक मूल्यों के संरक्षण में सहायक हैं।

73 वां संविधान संशोधन पंचायतीराज की निम्नलिखित 3–स्तरीय व्यवस्था प्रदान करता है–

ग्राम–स्तरीय पंचायत व्यवस्था

73वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्राम–स्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों के किये जाने की अपेक्षा करता है–

1. ग्राम स्तर पर जन विकास कार्य
2. ग्राम स्तर पर जन कल्याण

ब्लॉक–स्तरीय पंचायत व्यवस्था

ब्लॉक पंचायत व्यवस्था तहसील स्तर पर होती है जिसका उद्देश्य तहसील स्तर पर ग्रामविकास के कार्य करना है। ब्लॉक स्तर पर पायी जाने वाली पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती है।

जिला–स्तरीय पंचायत व्यवस्था

जिला–स्तरीय पंचायत व्यवस्था ग्रामीण आबादी को आवश्यक सेवाएँ और सुविधाएँ प्रदान करने किसानों को उन्नत बीजों की आपूर्ति करने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, पुस्तकालय, छात्रावास और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने लघु उद्योग शुरू करने सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का आदि कार्य करती है।

साहित्य पुनरावलोकन

1. हेनरी मैडिक (1978), अपने प्रश्नसूचक शीर्षक वाले लेख Can Panchayati Raj Become the Agency for Integrated Rural Development ? में दिए गए प्रश्न का यह उत्तर देते हुए प्रतीत होते हैं कि अगर राजनीतिक इच्छा और प्रशासनिक सुधार है तो यह पूर्णरूपेण संभव है की एकीकृत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पंचायतीराज प्रमुख साधन के रूप में कार्य कर सकती है और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है।
2. एस. आर. माहेश्वरी (1995), ने अपने शोधपत्र Rural Development in India : A Public Policy Approach में लिखा है कि ग्रामीण भारत की लगभग 30: जनसँख्या गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जीती है⁽ गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले ग्रामीणों को केवल ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से ही ऊपर उठाया जा सकता है और इनके जीवन में आशा की किरण लायी जा सकती है। इन लोगों के पास न भर पेट भोजन है, न रहने के लिए माकन है और न करने के लिए कोई नियमित रोजगार।
3. मीनाक्षी हूजा एवं राकेश हूजा (1998), अपने शोधपत्र Panchayati Raj in Rajasthan—Policy Issues and concern के अंतर्गत लिखते हैं कि 73 वे संशोधन से ग्रामीण भारत की काया पलट हो गयी। इस संशोधन के बाद आरक्षित वर्ग के सदस्यों की भारतीय राजनीती में सक्रिय सहभागिता देखी जा सकती है। इस संशोधन के बाद न जाने कितने आरक्षित वर्ग के सदस्य, विशेषकर महिलाएं पंचायत एवं अन्य चुनावों से जुड़कर अपनी किस्मत बदल चुके हैं। यह सिलसिला निरंतर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा।
4. महिपाल (2004), अपने अध्ययन Panchayati Raj and Rural Governance: Experiences of a decade के अंतर्गत 73वें संशोधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि 73 वे संशोधन का प्रमुख उद्देश्य पंचायतों को नियमितता, ताकत और निश्चितता प्रदान करना है। जब से यह संशोधन हुआ है, भारत में पंचायती राज की नींव मजबूत हो गयी है और ग्रामीण विकास हेतु अनेकों द्वार खुल गए हैं।
5. गिल एम.एस. एवं रमा (2012), अपने संयुक्त अध्ययन Panchayati raj institutions and rural development in Punjab, के अंतर्गत पंचायतीराज संस्थाओं के बारे में लिखते हैं कि ग्रामीण भारत के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन के लिए पंचायतीराज संस्थाएं प्रमुख वाहक हैं। 1992 में अस्तित्व में आने वाला 73 वां संशोधन ग्रामीण विकास के क्षेत्र में टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ है जिसने आज तक ग्रामीण विकास की सकारात्मक दिशा निर्धारित की है।
6. के ईस्वरा रेड्डी (2014), अपने शोधपत्र Role of Panchayati Raj Institutions in Rural Development& with Special Reference to Anantapuramu District of Andhra Pradesh में आँध्रप्रदेश के अनन्तपुरमु जिले का सन्दर्भ देते हुए स्वीकार करते हैं कि भारत के ग्रामीण विकास में पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका बेहद प्रशंसनीय है क्योंकि इनकी क्रियाशीलता के आभाव में ग्रामीण विकास तीव्र गति को कभी नहीं पकड़ पता और गाँवों की स्थिति पहले से भी बदतर हो गयी होती।
7. प्रिया बेनीवाल (2015), अपने शोधपत्र Role of Panchayat Raj System in Democracy with Special Reference to Rajasthan, में राजस्थान में पंचायतीराज की भूमिका की प्रशंसा करते हुए लिखा है की पंचायतीराज व्यवस्था ने प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत किया है तथा सामान्य व्यक्तियों को भी सरकार के साथ जोड़ने का काम किया है। पचायतीराज ने न केवल ग्रामीण लोगों को राजनीती से जोड़ा है, अपितु इसने किसानों के चहुमुखी विकास के द्वार भी खोले हैं।
8. सुमन कुमारी, शाहनवाज आलम (2016), अपने संयुक्त लिखित शोधपत्र Role Of Gram Panchayat In Rural Development: A Study Of Mathura District] Uttar Pradesh में स्वीकार करते हैं की भारत के ग्रामीण विकास में पंचायतों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें व अन्य समितियां ग्रामविकास नीति में इसके महत्व पर विशेष जोर देती रही हैं और उम्मीद करती हैं कि पंचायतीराज ही ग्रामीण विकास में वास्तविक अर्थ में सहायक होसकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. भारतीय ग्रामीण समाज का अध्ययन प्रस्तुत करना ।
2. भारतीय ग्रामों का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना ।
3. ग्रामीण सामाजिक परिवर्तनों की समीक्षा करना ।
4. स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में ग्रामीण विकास की समीक्षा करना।
5. भारतीय ग्रामीण समाज के विकास की गति एवं दिशा की समीक्षा करना ।
6. ग्रामीण विकास के मार्ग में आने वाली समस्याओं को ज्ञात करना ।
7. ग्रामीण विकास हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करना ।
8. पंचायतीराज व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या करना ।
9. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज के मध्य सम्बन्ध ज्ञात करना ।
10. भारत के ग्रामीण विकास में पंचायतीराज व्यवस्था के योगदान से अवगत करवाना ।

प्राक्कल्पना

1. भारतीय समाज को समझने के लिए भारत में ग्रामीण विकास को समझना आवश्यक है।
2. भारतीय समाज ग्राम–प्रधान समाज है जिसकी अपनी विशेषताएं हैं।
3. भारतीय ग्रामीण समाज परिवर्तनशील है।
4. ग्रामीण भारत में अनेकों प्रक्रियाएं क्रियाशील हैं जो ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन में अहम् भूमिका निभा रही हैं।
5. ग्रामीण विकास भारतीय ग्रामीण समाज का महत्वपूर्ण मुद्दा है जो ग्रामीण विकास को अनेकों प्रकार से प्रभावित करता है।
6. स्वतंत्रतापूर्व भारत में ग्रामीण विकास की गति धीमी थीप
7. स्वतंत्रता पश्चात् ग्रामीण विकास की गति तीव्र हुई है।
8. पंचायतीराज ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण कड़ी है।
9. पंचायतीराज व्यवस्था ने ग्रामीण पुरुषों एवं महिलाओं के जीवन में क्रांति ला दी है ।
10. पंचायतीराज के परिणाम सुखद एवं कल्याणकारी हैं।

शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन व्याख्यात्मक एवं समीक्षात्मक शोध की श्रेणी में आता है। अध्ययन पूर्णतः मौलिक एवं वैज्ञानिकतापूर्ण है। अध्ययनकर्ता ने इसके करने में वस्तुनिष्ठता का पूर्ण ध्यान रखा है। विभिन्न प्रकाशित शोधपत्र अध्ययन का आधार रहे हैं क्योंकि उनमें प्रकाशित एवं उपलब्ध द्वितीयक तथ्य इस अध्ययन में प्रयोग किये गए हैं और उनके आधार पर ही निष्कर्ष निकाले गए हैं। अध्ययन–प्रक्रिया के प्रमुख चरण जिनका अध्ययन हेतु पालन किया गया, निम्नलिखित हैं–

1. विषय एवं शीर्षक का चुनाव और निर्धारण
2. अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण एवं अध्ययन की दिशा का सुनिश्चितीकरण
3. इंटरनेट साइटों पर अपेक्षित प्रकाशित शोधपत्र एवं पुस्तकों की तलाश
4. विषय की गहराई में जाने एवं विषय के बारे में समझदारी विकसित करने हेतु सम्बंधित साहित्य का अध्ययन
5. तथ्यों का संग्रह, वर्गीकरण एवं विश्लेषण
6. अंतर्वस्तु विश्लेषण
7. निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्कर्ष

1. भारत एक ग्राम प्रधान देश तथा ग्रामीण विकास भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी ओर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत सरकार निरंतर ध्यान दे रही है और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।
2. ग्रामीण विकास के बिना भारत जैसे विशाल एवं प्रजातान्त्रिक देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते।
3. पंचायतीराज महात्मा गाँधी की ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना का एक साकार रूप है जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर ग्रामपंचायतों के माध्यम से शासन संचालित किया जाता है।
4. 73 वां संशोधन जो 1992 में किया गया था इस दिशा में सराहनीय कदम था।
5. पंचायतीराज व्यवस्था को चलाने में पंचायतीराज संस्थाओं का विशेष योगदान है जो सफल सञ्चालन में अपना विशेष योगदान देती हैं।
6. इसके सुखद परिणामों को वर्तमान ग्रामीण सामाजिक परिवर्तनों के रूप में सम्पूर्ण ग्रामीण भारत में देखा जा सकता है।
7. पंचायतीराज व्यवस्था ने विशेष रुप से महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के सदस्यों जो पूर्व में प्रायः राजनीतिक व्यवस्थाओं से अनभिज्ञ रहते थे, को लाभान्वित किया है।
8. पंचायतीराज व्यवस्था प्रजातंत्र को मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है और प्रजातान्त्रिक मूल्यों के पोषण और संरक्षण में विशेष योगदान देता है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *गिल एम.एस. एवं रमा– Panchayati raj institutions and rural development in Punjab, एशियाई जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज एंड हुमानिटीज, 2(11), 2012*
2. *हेनरी मैडिक–Can Panchayati Raj Become the Agency for Integrated Rural Development, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जुलाई 1978*
3. *के ईस्वरा रेड्डी– Role of Panchayati Raj Institutions in Rural Development& with Special Reference to Anantapuramu District of Andhra Pradesh, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हुमानिटीज एंड सोशल साइंस स्टडीज, 2014*
4. *महिपाल– Panchayati Raj and Rural Governance: Experiences of a decade, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, 39 (2), 2004*

5. *मीनाक्षी हूजा एवं राकेश हूजा– Panchayati Raj in Rajasthan—Policy Issues and concerns, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1998*
6. *प्रिया बेनीवाल– Role of Panchayat Raj System in Democracy with Special Reference to Rajasthan] AIJRA 4(4)*
7. *एस. आर. माहेश्वरी– Rural Development in India : A Public Policy Approach, एशिया–पसिफिक जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 1995*
8. *सुमन कुमारी, शाहनवाज आलम–Role Of Gram Panchayat In Rural Development: / Study Of Mathura District] Uttar Pradesh] इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च 5(3), फरवरी 2016*